इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर 2012—कार्तिक 28, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-5-56-04-चौदह-3, दिनांक 23 जून 2012 से मंडी समितियों के साधारण निर्वाचन 14 नवम्बर 2012 तक की कालावधि के लिए स्थगित किये गये थे. राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 26 के अनुसार राज्य की मंडी समितियों के निर्वाचन के लिए निम्नानुसार समय-अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है.

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नामनिर्देशन प्रारम्भ होने का दिनांक.	22 नवम्बर 2012 (गुरुवार)
(ख)	नामनिर्देशन हेतु अंतिम दिनांक	29 नवम्बर 2012 (गुरुवार)
(ग)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा का दिनांक	30 नवम्बर 2012 (शुक्रवार)
(घ)	नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक (प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक).	4 दिसम्बर 2012 (मंगलवार)
(ङ)	प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	4 दिसम्बर 2012 (मंगलवार)

(च)	वह दिनांक जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	20 दिसम्बर 2012 (गुरुवार)
(छ)	मतगणना के लिए दिनांक	20 दिसम्बर 2012 (गुरुवार)
(ज)	सारणीकरण तथा परिणाम घोषणा	21 दिसम्बर 2012 (शुक्रवार)

(आ) और राज्य सरकार 7.00 बजे प्रात:काल से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—प्रदेश में मण्डी समितियों के निर्वाचन हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19 नवम्बर 2012 द्वारा जारी की गई है. मण्डी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है. अत: इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है जो संलग्न है. निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि वे इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें.

(2) उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 19 नवम्बर 2012 से 22 दिसम्बर 2012 तक प्रभावशील रहेगी.

संलग्न :—उपरोक्तानुसार.

विजय पंडित, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.